



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी-जोन कमिश्नरेट, वाराणसी।

## प्रेस नोट

दिनांक- 17.04.2025

**विषय:-रामनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की 15 अदद घंटे के साथ 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार (बरामद सम्पत्ति का कीमत लगभग 20 हजार रूपये)**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा गम्भीर अपराधों की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली के क्रम में व श्रीमान् प्रभारी निरीक्षक महोदय के निर्देशन में दिनांक 17-04-2025 को थाना रामनगर की पुलिस टीम द्वारा पंचवटी तिराहे पर पहुंचे ही थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दैत्र वीर बाबा मंदिर से चोरी गये घंटे को 02 व्यक्ति 52 बीघा के जंगल में आपस में बंटवारा कर रहे हैं सूचना पर मुखबिर को साथ लेकर मय पुलिस टीम के साथ 52 बीघा पहुंचा जहां मुखबिर ने बबूल के पेड़ के नीचे 02 व्यक्ति जो घंटे का आपस में बंटवारा कर रहे थे को एकबारगी दबिश देकर पकड़ लिया गया। कड़ाई से पूछने पर दोनो अभियुक्त स्वीकार किये कि यह घंटे व घंटियां हम लोग दैत्र वीर बाबा मंदिर से चुराये थे को कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **पंजीकृत अभियोग का संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 17/04/2025 को वादी मुकदमा ने लिखित सूचना दिया कि दिनांक 14/04/2025 को दैत्रावीर बाबा मंदिर से घंटिया चोरी हो गयी है जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा दिये गये लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-0071/2025 धारा 305(डी) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ विवरण :-**

हिरासत में लिये गये दोनों अभियुक्तगणों ने बताया कि साहब हम दोनों नशा करते हैं नशा करने के लिए जब पैसा नहीं मिलता है तो चोरी करते हैं 2 से 3 दिन पहले चौक चौराहे से पंचवटी जाने वाले मार्ग पर कूड़ा घर के पास स्थित मंदिर से घंटिया चोरी किये थे जिसे बेचने के लिए आज हम लोग 52 बीघा में आपसे में बांट रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-**

- 1- राहुल मिश्र पुत्र स्व0 महेन्द्र मिश्रा निवासी ग्राम पंडित का पुरवा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र 24 वर्ष
- 2- रवि सिंह पुत्र स्व0 राम ध्यान सिंह निवासी 3 / 1436 रामपुर रामनगर थाना रामनगर वाराणसी उम्र 38 वर्ष

## अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास का विवरण :-

### अभियुक्त राहुल मिश्रा

- 1- मु0अ0स0-0013/2024 धारा 8 / 20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 2- मु0अ0सं0-0071/2025 धारा 305डी/317(2) बी0एन0एस0 थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।

### अभियुक्त रवि सिंह

- 1- मु0अ0स0-0276/2020 धारा 8 / 21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।
- 2- मु0अ0सं0-0071/2025 धारा 305डी/317(2) बी0एन0एस0 थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।

### बरामदगी का विवरण :-

#### अभियुक्त राहुल मिश्रा के पास से -----

- 1- 08 अदद घंटा

#### अभियुक्त रवि सिंह के पास से -----

- 1- 07 अदद घंटा

### गिरफ्तारी / बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान :-

दिनांक 17.04.2025 को का स्थान 52 बीघा मैदान रामनगर

### गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 श्री राजू सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. उ0नि0 श्री अमीर बहादुर सिंह चौकी प्रभारी कस्बा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी
3. उ0नि0 श्री अंशू पाण्डेय थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
4. उ0नि0 श्री पंकज कुमार मिश्रा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
5. हे0का0 राकेश कुमार सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
6. का0 गौरव भारती थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
7. का0 शैलेन्द्र कुमार सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
8. का0 गंगा प्रसाद वर्मा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त, कार्यालय  
जोन-काशी कमिश्नरेट वाराणसी